10रु. Rs.10
दस रुपये TEN RUPEES

(1)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्रमांकः- /2018 निगरानी-5754/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

(518)

1.धन्नुवा तनय मुलुवा अहिरवार आयु- 60 वर्ष,
2.रुकमन पत्नी धन्नुवा अहिरवार आयु- 58 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम फुटेर चक्र- 2 तहसील खरगापुर
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

....निगराकारगण

बनाम

1.शासन म.प्र.
2.रामचरन तनय बुद्दा अहिरवार आयु- 30 वर्ष,
निवासी फुटेर चक्र- 2 खरगापुर तहसील खरगापुर
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

....प्रतिनिगराकारगण

दिनांक 19.9.18 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत/
19.9.18
धारा 50 MLRC
पेशी 8.10.18

निगरानी प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक महोदय खरगापुर के प्रकरण क्रमांक 60/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2018 से व्यथित, परिवेदित, क्षुब्ध व कुंठित होकर श्रीमान् के यहां निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है ।

महोदय,

निगरानी के प्रमुख आधार सादर निम्न प्रकार हैः-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं आदेश विधि विधान व मूल पत्रावली के सर्वथा प्रतिकूल है ।

(2) यह कि प्रकरण का संक्षिप्त सार यह रहा है कि प्रतिनिगराकार रामचरन अहिरवार द्वारा अपनी भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया होगा जिसके आवेदन पर पटवारी तथा आर.आई. द्वारा निगराकारगणों की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया था जैसा कि पंचनामा से स्पष्ट है ।

(3) यह कि निगराकारगणों के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि ग्राम फुटेर चक्र-02 में खसरा नम्बर 969/6, 969/10, 968/2 तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र. में

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5754/2018/टीकमगढ़/भू.रा. घन्सुआ विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक घन्सुआ की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्वत एवं अनावेदक 1 शासन की ओर से अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल खरगापुर के सीमांकन आदेश दिनांक 30-05-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी पर निर्णय लिया जाना है । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 23-x-18 सदस्य	